कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला उज्जैन (म.प्र.)

क्रमांक 169 /ए.डी.एम./रीडर/शिक्षा/2025 उज्जैन दिनांक 27/02/2025

आदेश
(अंतर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)

कतिपय स्कूल प्रबंधन एवं प्राचार्य द्वारा एनसीआरटी/एसीईआरटी से संबंधित पुस्तकों के साथ अन्य प्रकाशकों की अधिक मूल्य की पुस्तकें एवं अन्य सामग्री क्रय करने हेतु पालकों पर अनुचित दबाव बनाया जाकर विषयवार एनसीईआरटी/सीबीएसई/एससीईआरटी मुद्रित व निर्धारित पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकों के स्थान पर अन्य प्रकाशकों की पाठ्य पुस्तकों को चयन कर अभिभावक को दुकान विशेष/निर्धारित स्थान से पाठ्य पुस्तकों व अन्य शैक्षिक सामग्री यूनिफार्म क्रय करने हेतु अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य किया जा रहा है।

इस संबंध में म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियम) अधिनियम 2017 की धारा 6 (संबंधित विषय ऐसी रीति में विनियमित किए जाएंगे जैसी कि विहित की जाए) एवं धारा 9 (फीस की वृद्धि और संबंधित विषयों के बारे में शिकायतों का निपटारा) तथा म.प्र निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम 6 एवं 9 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबधित विषयों विनियमन) नियम 2020 के नियम 6(1) (घ)–निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावकों का पुस्तकें, यूनिफार्म, टाई, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से क्रय करने के लिए औपचारिक अथवा अनौपचारिक, किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जाएगा। छात्र या अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से कय करने के लिये स्वतंत्र होगे।

विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सुझावों से मुझे यह समाधान हो गया है कि उज्जैन शहर एवं जिले के निजी स्कूलों द्वारा की जा रही एकाधिकारी प्रवृत्ति से लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध न हो तथा इसका निवारण अत्यन्त वांछनीय होने से, इसे रोकने हेतु कार्यवाही की जाना आवश्यक प्रतीत होता है साथ ही विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुझे यह भी समाधान हो गया है कि चूंकि अधिकांश निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रकिया प्रारंभ हो गयी है। अतः विनियमन की कार्यवाही तत्काल की जाना आवश्यक है।

अतः मैं नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत स्कूल संचालकों, प्रकाशकों एवं विक्रेताओं एकाधिकार को समाप्त करने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी करता हूँ :–

01. स्कूल संचालक/प्राचार्य स्कूल में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिये अनिवार्य पुस्तकों की सूची विद्यालय के परीक्षा परिणाम के पूर्व अपने स्कूल की वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे एवं अपने स्कूल परिसर में सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करेंगे। मान्यता नियमों के अंतर्गत वेबसाईट होना अनिवार्य है। साथ ही पुस्तकों की सूची की एक प्रति प्रवेशित अभिभावकों को प्रवेश के समय एवं परीक्षा परिणाम के समय तक उपलब्ध करायेगे।
02. स्कूल संचालक/प्राचार्य, विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों को सूचीबद्ध पुस्तकें, परिणाम अथवा उसके पूर्व क्रय किये जाने हेतु बाध्य नहीं करेगें अभिभावक पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर 15 जून 2025 तक क्रय कर सकेगें। ऐसी स्थिति में अप्रैल माह में प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र प्रथम तीस दिवस की अवधि 01 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक के मध्य का उपयोग विद्यार्थियों के ओरिएंटेशन, व्यावहारिक व मनोवैज्ञानिक पद्धति से शिक्षण में किया जा सकता है।
03. स्कूल संचालक जिस नियामक बोर्ड यथा सी.बी.एस.ई/आई.सी.एस.ई./ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबद्ध है, उस संस्था के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम व पाठ्यक्रम के अंतर्गत नियामक संस्था अथवा उसके द्वारा विधिक रूप से अधिकृत एजेंसी यथा–एनसीईआरटी पाठ्यक पुस्तक निगम आदि के द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशकों/मुद्रकों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों को विद्यालय में अध्यापन हेतु प्रतिबंधित करेंगें।

जिला दण्डाधिकारी
उज्जैन

144 school

Scanned with ACE Scanner

04. स्कूल संचालक सुनिश्चित करेंगें कि उक्त के अतिरिक्त अन्य विषयों जैसे नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर आदि की प्रकाशकों/मुद्रकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें कय करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा।

05. निजी विद्यालय प्रबंधन, परिवहन सुविधाओं के संबंध में परिवहन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन करेगा।

06. निजी स्कूल संचालक द्वारा विद्यार्थियों /अभिभावकों को पुस्तकें, कापियॉ, संपूर्ण यूनिफार्म आदि संबंधित स्कूल/संस्था अथवा किसी भी एक दुकान/विक्रेता/संस्था विशेष से कय किये जाने हेतु बाध्य नहीं किया जावेगा।

07. स्कूल संचालक,पालक शिक्षक संघ (PTM) अथवा अन्य अवसरों पर सुनिश्चित करेंगें कि निजी प्रकाशक/मुद्रक/विकेता स्कूल परिसर के भीतर प्रचार–प्रसार हेतु किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं करेंगें।

08. स्कूल संचालक/विकेता द्वारा पुस्तकों के सेट की कीमत बढाने हेतु अनावश्यक सामग्री जो निर्धारित पाठ्यकम से संबंधित नहीं है, का समावेश सेट में नहीं किया जायेगा। कोई भी विकेता किसी भी कक्षा के पूरे सेट को कय करने की बाध्यता नहीं रखेगा। यदि किसी विद्यार्थी के पास पुरानी किताबें उपलब्ध हो तो उसके केवल उसकी आवश्यकता की पुस्तकें को ही विकेता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

09. नोट बुक (कॉपी) पर ग्रेड, किस्म, साईज, मूल्य, पेज की संख्या आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए।

10. कोई भी विद्यालय अधिकतम दो से अधिक यूनिफार्म निर्धारित नहीं कर सकेंगें ब्लेजर इसके अतिरिक्त होगा, विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्कूल यूनिफार्म का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि कम से कम 03 सत्र तक उसमें परिवर्तन नहीं हो। विद्यालय प्रशासन द्वारा वार्षिकोत्सव अथवा अन्य किसी आयोजन पर किसी भी प्रकार की वेशभूषा को विद्यार्थियों /पालकों को क्रय करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा।

11. जिन विषयों के संबंध में नियामक संस्था के द्वारा कोई पुस्तक प्रकाशित/मुद्रित नहीं की गई है उस विषय से संबंधित किसी अन्य पुस्तक को अनुशंसित करने के पूर्व स्कूल संचालक सुनिश्चित करेंगें कि उक्त पुस्तक की पाठ्य सामग्री ऐसी आपत्तिजनक नहीं हो जिससे लोक प्रशांति भंग होने की संभावना हो।

चूंकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता को संबोधित है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना संभव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति/आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(5) के तहत मुझे प्रस्तुत कर सकेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा इसका उल्लघंन करने वाले व्यक्ति/संस्था/आयोजक के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी विद्यालय द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना किये जाने पर शाला के प्राचार्य/संचालक के साथ ही शाला प्रबंधक /बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समस्त सदस्य भी दोषी होगें। आमजन इस आदेश का उल्लघंन होने संबंधी शिकायत कमाण्ड कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 0734–2520711 पर कर सकेंगें।

यह आदेश उज्जैन जिले की राजस्व क्षेत्र में दिनांक 27/02/2025 से आगामी 02 माह के लिये लागू रहेगा। जिले के समस्त विद्यालय अपने नोटिस बोर्ड पर उक्त सूचना चस्पा करें। विद्यालय के प्राचार्य उक्त आदेशों की जानकारी प्रबंधकों की प्रथम बैठक में सविस्तार करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 27/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज कुमार सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उज्जैन (म.प्र.)

144 school

Scanned with ACE Scanner

पृष्ठाकंन क्रमांक 170 **/ए.डी.एम./ रीडर/शिक्षा/2025/** **उज्जैन, दिनांक** 27 **/02/2025**

प्रतिलिपि –

01. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
02. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ।
03. पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन झोन उज्जैन ।
04. संयुक्त संचालक लोक शिक्षा उज्जैन संभाग उज्जैन।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उज्जैन।
06. पुलिस अधीक्षक, जिला–उज्जैन।
07. अपर कलेक्टर, जिला–उज्जैन।
08. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/देहात, जिला– उज्जैन ।
09. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उज्जैन।
10. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उज्जैन शहर/कोटी महल/उज्जैन ग्रामीण/ घट्टिया/तराना /बडनगर / महिदपुर/खाचरौद/नागदा ।
11. नगर पुलिस अधीक्षक, कोतवाली/माधवनगर/नीलगंगा/जीवाजीगंज/नागदा ।
12. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/बडनगर/महिदपुर/तराना/खाचरौद ।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त) जिला उज्जैन।
14. थाना प्रभारी.......................................जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। उक्त आदेश का विस्तृत प्रचार प्रसार लाउड स्पीकर से करवाने एवं प्रमुख स्थानों पर चस्पा हेतु अग्रेषित।
15. उप संचालक जनसंपर्क विभाग उज्जैन की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित ।
16. प्रभारी अधिकारी, पुलिस नियंत्रण कक्ष उज्जैन ।
17. सर्व संबंधित प्राचार्य/प्रबंधक ------------------------------ विद्यालय (समस्त) जिला उज्जैन की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला उज्जैन (म.प्र.)

Additional District Magistrate
District Ujjain (M.P.)

Scanned with ACE Scanner